13/07/17

वकील उभयपक्ष उप. | पत्रावली का अवलोकन
से ज्ञात हुआ कि उक्त अपील हाजा
न्यायालय के समक्ष 212 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 24/6/2016
के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है | अधीनस्थ
न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि
वादग्रस्त आराजी से संबंधित मूल प्रार्थना
धारा 177 का निस्तारण हो चुका है |
जिससे 212 का प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य
नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया |
हाजा न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा वादग्रस्त
आराजी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय
द्वारा पारित स्थगन आदेश के विरूद्ध अपील
प्रस्तुत की गई, जो कि मूल प्रार्थना पत्र के
निस्तारण होने से खारिज हो चुका है | जिससे
उक्त अपील सारहीन हो चुकी है | केव

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

नरपतसिंह | सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3/6/16 उक्त अपील खारीज होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद अवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	